न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अजमेर

पीठासीन अधिकारी – डॉ0 आर्तिका शुक्ला (आई.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी अजमेर

राजस्व प्रार्थना पत्र – 36/2006

रामरतन व अन्य बनाम हरजी व अन्य

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

आदेश **दिनांक 16.09.2019**

पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण उपस्थित जिन्हें प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पर सुना पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रार्थी के वकील ने बहस में प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुये स्वीकार किया कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण नम्बर एक व दो की पुश्तैनी बापोती कृषि भूमिया जो कि ग्राम दौराई तहसील व जिला अजमेर में स्थित है जिसमें 1/2 हिस्सा के सहखातेदार प्रार्थीगण एवं 1/2 हिस्सा के सहखातेदार अप्रार्थीगण नम्बर एक व दो है। विवादित भूमि जो प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में अकित है। मिसल बन्दोबस्त चालिस साला खेवट एवं खतौनी तथा मिसल बन्दोबस्त पचास साला खेवट एवं खतौनी के अनुसार प्रार्थीगण के स्वर्गीय पिता श्री कालू पुत्र हजारी की 1/2 हिस्सा की खातेदारी की भूमि है एवं 1/2 हिस्सा में अप्राथीगण नम्बर एक व दो जोकि स्वर्गीय श्री बालू पुत्र उरजा के वारिसान है का है परन्तु वर्तमान जमाबंदी में राजस्व अधिकारियों के द्वारा जो इन्द्राज दर्ज किया गया जो कि मिसल बन्दोबस्त चालिस साला खेवट खतौनी एवं मिसल बन्दोबस्त पचास साला खेवट खतौनी के विपरित दर्ज की गई इस कारण यह प्रार्थना पत्र वास्ते प्रार्थना पत्र की चरण संख्या दो में दशार्यी भूमि में से 1/2 हिस्से का खातेदार प्रार्थीगण को घोषित किया जाने एवं इसी अनुसार वर्तमान जमाबंदी में प्रार्थीगण के नाम 1/2 हिस्सा का इन्द्राज वर्तमान जमाबंदी में दर्ज करवाये जाने हेतु प्रस्तुत कर रखा है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या दो में दशायी भूमि कि जिसमें 1/2 हिस्सा के खातेदार स्वर्गीय श्री

उपखण्ड अधिकारी
अजमेर

Scanned by CamScanner

कालू पुत्र हजारी कि जिनके स्वर्गवास के पश्चात प्रार्थीगण है एवं काविज है तथा 1/2 हिस्सा के सहिस्सेदार श्री बालू पुत्र उरजा कि जिसके स्वर्गवास के पश्चात अप्रार्थीगण नम्बर एक व दो है परन्तु वर्तमान जमाबंदी में प्रार्थीगण 1/2 हिस्सा की सम्पूर्ण ाूमि का इन्द्राज नही किया गया बल्कि अप्रार्थीगण नम्बर एक व दो के नाम उनके 1/2 हिस्सा के स्थान पर वर्तमान जमाबंदी के अनुसार अधिक भूमि का इन्द्राज दर्ज किया गया जो गलत है। राजस्व अधिकारियो एवं भू–प्रवन्ध विभाग अजमेर को मिसल बन्दोबस्त चालिस साला एवं पचास साला की खेवट खतौनी के विपरित वर्तमान जमाबंदी में इन्द्राज दर्ज किये जाने का एवं परिवर्तन किये जाने का कोई अधिकार क्षेत्र ही नही था जबकि इस सन्दर्भ में प्रार्थीगण के विरूद्व एवं उनके स्वर्गीय पिता के विरूद्व इस प्रकार के गलत इन्द्राज के सन्दर्भ में सक्षम न्यायालय के द्वारा कोई आदेश डिग्री ही पारित नही की गई इस प्रकार राजस्व अधिकारीयो एवं भू–प्रबन्ध विभाग अजमेर के द्वारा वर्तमान जमाबंदी में जो इन्द्राज अप्रार्थीगण नम्बर एक व दो के नाम दर्ज किया गया जो कि मिसल बन्दोबस्त चालिस साला एवं पचास साला की खेवट खतौनी के विपरीत गलत इन्द्राज किया गया इस कारण यह प्रार्थना पत्र इन्द्राज दुरूस्ती एवं प्रार्थना पत्र की चरण संख्या दो में दशायी भूमि में से 1/2 हिस्सा के खातेदार प्रार्थीगण को घोषित किये जाने हेतु प्रस्तुत है इसी अनुसार वर्तमान जमाबंदी में प्रार्थीगण के नाम 1/2 हिस्सा का खातेदारी इन्द्राज दर्ज करवाये जाने हेतु घोषणा हेतु मूल वाद प्रस्तुत कर रखा है। अतः आवेदन पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ताफैसला मूल वाद तक अप्रार्थीगण नम्बर एक व दो एवं उनके वारिसान, ऐजेन्ट, अटोरनीज आदि के विरूद्व स्थाई निषेघाज्ञज्ञ प्रसारित की जाकर पाबद किया जावे कि वे प्रार्थना पत्र की चरण संख्या दो में दशायी भूमि में से 1/2 हिस्सा के प्रार्थीगण के विधिक अधिकारो एवं उपयोग तथा उपभोग में किसी प्रकार से दखल व्यवधान नही किया जावे तथा किसी अन्य को रहन, दान, बेचान हस्तान्तरण एवं संस्था बेक आदि के समक्ष मोरगेज नही की जाने के सन्दर्भ में स्थाई निषेघाज्ञा प्रसारित की जाकर पाबद किया जावे ।

अप्रार्थीगण प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए वकिल अप्रार्थीगण ने निवेदन किया कि अप्रार्थीगण के पिता स्वगीय श्री बालू पुत्र उरजा की स्वअर्जित एवं एकल स्वामित्व खातेदारी काश्तकारी की भूमि को इस प्रार्थना पत्र में गलत रूप

Scanned by CamScanner

से शामिल किया गया है जिसका विवरण अनुसार आराजी खसरा नम्बर (पचास साल) 2421, 2422, 2423, 2424, 2524, 2526, 2403, 2404 एवं चार खसरा नम्बर 2427 जिनका कुल रकबा करीबन 10 बीघा भूमि वालू पुत्र श्री उरजा द्वारा बजरिये रजिस्टर्ड बेनामा दिनांक 5.8.1963 को मूल खातेदार श्री सौभागमल से खरीद कर मौके पर काबिज काश्त है एवं खसरा नम्बर (पचास साला) 34 अ, 1570,1571,707, 968, 996, 997, 1000, 1004, 1044/1, 1093 अ, 1732 अ, 1732 ब, 2256, 2257, 2258, 2246, 2465, 2466, 2467, 2468, 2472, 2473, 2474, 2478 अ, 2478 ब, 2479, 2480, 2485, 2487, 2491, 2492, 2494, 2260 जिसका कुल रकबा करीबन 68–04–00 जो स्व0 श्री वालू पुत्र श्री उरजा को बॉय ऑपरेशन आफ लॉ अर्थात राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के समय खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये थे जिसके सबूत में जिसके अनुसार उक्त भूमि वालू पुत्र श्री उरजा की निजी एवं एकल स्वामित्व की खातेदारी भूमि है एवं आराजी खसरा नम्बर 2496, 2497, 2500, 2506 अ, 2514 अ जिसका कुल रकबा 19–17–00 वालू पुत्र श्री उरजा को धारा 15 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये थे जिसके सबूत में जमावंदी संवत 2022–2025 के कॉलम नं0 16 में वहेसियत खातेदार काश्तकार दर्ज की गई जिसमे प्रार्थीगण का कोई हक, व हिस्सा नही होने के कारण प्रार्थगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे । चूकि यह सर्वविदीत सिद्वान्त है कि रेकॉर्डेड खातेदार को अस्थाई निषेघाज्ञा से पावन्द नही किया जा सकता। दावा दायरी के रोज एवं वर्तमान राजस्व अभिलेख जमावंदी में वादग्रस्त भूमि अप्रार्थीगण के नाम खातेदारी में है और वे खातेदार काश्तकार के रूप में काबिज काश्त है जिससे प्रथम दृष्टया प्रकरण व सुविधा का संतुलन तथा अपूर्णनीय क्षति कारित होने के उक्त तीनो बिन्दु ही प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नही होकर अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित है । अतः प्रार्थीगण का अस्थाई निषेघाज्ञा का आवेदन मय खर्चे के निरस्त किया जावे ।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया गया कि प्रार्थी रेकाडैड खातेदारी नही होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड दस्तावेज का सादर अवलोकन किया हमने पाया कि वादग्रस्त भूमि का प्रार्थी

Scanned by CamScanner

खातेदार काश्तकार नहीं है । वादी/प्रार्थी विवादित भूमि के काबिज काश्त हो इस बात का कोई साक्ष्य वादी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नही किया गया है। हम प्रतिवादी अधिवक्ता के इस तर्क से सहमत है कि काबिज खातेदार काश्तकार के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा विधि अनुसार जारी नही की जा सकती, इस कारण प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्व नही होता है। यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो वादी/प्रार्थी के बजाय प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण को असुविधा होगी, व सुविधा का सन्तुलन व अपूणीय क्षति भी वादि/प्रार्थी के पक्ष में नही होकर अप्रार्थीगण काबिज खातेदार के पक्ष में हैं उपरोक्त विन्दुओ में से एक भी विन्दु वादी/प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होने पर भी अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान नही की जा सकती है।

परिणामतः उपरोक्त विवेचन विशलेषण वादी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अस्वीकार कर खारिज किया जाता है ।

आदेश आज दिनांक 16.9.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

डॉ0 आर्तिका शुक्ला
आई.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
अजमेर

Scanned by CamScanner